वर्तमान सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ और निदान

डॉ. अमित शुक्ल,

एसोसिएट प्रोफेसर–प्राध्यापक हिन्दी,
शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय,रीवा (मध्य प्रदेश)

शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। उच्च शिक्षा समाज की महत्वपूर्ण गतिविधियों प्रशासन, व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, संचार, कला, साहित्य के लिए मानव संसाधन सुलभ कराती है। उच्च कोटि के वैज्ञानिक, साहित्यकार नेता तथा दार्शनिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं। प्राचीनकाल में गुरूकुलों तथा आश्रमों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्धकाल में हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए बड़े–बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। मुगलकाल में मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में उच्च शिक्षा निरंन्तर विकास की ओर अग्रसर हैं। इक्कीसवीं शताब्दी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार उच्च शिक्षा आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। वह ज्ञान का भण्डार भी है और ज्ञान का अर्जन भी। अतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का महत्व निर्विवाद है स्वयं विश्व बैंक ने भी सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। उच्च शिक्षा संस्थान ही ऐसे व्यक्तियों को नवीनतम ज्ञान और तकनीकी से प्रशिक्षित करते हैं जो शासकीय सेवा, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से चरित्र का निर्माण करना है। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास की रीढ़ है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान और मानवीय चरित्र को उदात्तीकृत करने का सबसे कारगर हथियार है। डॉ. जे. बी. विलनिलम का मानना है कि शिक्षा को मानव संसाधन विकास में राष्ट्रीय निवेश के रूप में लिया जाना चाहिए। जवाब देही के प्रश्न पर नीति–निर्धारण एवं वित्तीय संस्थाओं को गहन विचार करना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में लागत अधिक और वसूली निम्न है। शिक्षा का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं राष्ट्रीय परिवेश एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी एजेंसी, आयोजना संघ, निजी एवं सार्वजनिक प्रबंध, लोकोपकारी संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और सामान्य जनता सभी को इस बात पर ध्यान देना होगा कि न केवल वित्तीय दृष्टि से अपितु मानव संसाधन विकास की दृष्टि से भी यह निवेश सार्थक सिद्ध हो। अगर ऐसा न हुआ तो न केवल निवेश व्यर्थ होगा अपितु उत्तम के स्थान पर साधारण बौद्धिकता का निर्माण देश के लिए अहितकर ही सिद्ध होगा। ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का उद्देश्य सीमित था और वह था मैकालियन सिद्धांत के अनुरूप भारतीयों का ''एक ऐसा वर्ग तैयार करना जिसका केवल खून एवं रंग भारतीय हो परन्तु शौक, मिजाज एवं सोच पूरी तरह अंग्रेजी''। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर केन्द्र सरकार ने काफी बल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहा देश में कुल 19 विश्वविद्यालय और 735 महाविद्यालय थे। अब उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी उच्च शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हैं। आज देश में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि परिलक्षित हो रही है। विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की ललक और शिक्षकों में शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति का

घोर अभाव है। विश्वविद्यालय परिसर में निरूद्देश्य छात्र हड़ताल, कक्षाओं का बहिष्कार, शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार और छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह सब विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का परिणाम है। आज देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाय तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक कार्यकुशलता की कमी है, वित्तीय संसाधन का अभाव है तथा छात्रों और शिक्षकों के निजी जीवन में उदारता नैतिक आदर्शों का घोर अभाव हैं। 21वीं सदी की शिक्षा उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाली होती जा रही है। बाजारवाद शिक्षा परिसरों में भी पसरता जा रहा है। हम ऐसी शिक्षा के दल दल में धॅस रहे हैं जो हमें हृदयहीन, लाचार और आत्महीन बना रही है। हमारे आदर्श हमसे छूटे जा रहे हैं। हम लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में परजीविता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय आम जनता परम्परागत शिक्षा को ही रोजगार का साधन बनाती है लेकिन इस दौर में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इस तरह की आशा रखने वाले युवाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब वे दिन लद चुके जब परम्परागत शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त हो जाता था। उच्च शिक्षा का अनियोजित विस्तार हुआ है, लेकिन नौकरी के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नही हो पा रही है। इस सबके बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भूमण्डलीकरण के युग में विश्व समुदाय के बीच उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से एक सम्मान जनक स्थान दिया जाता रहा हैं। उच्च शिक्षा के प्रति विश्व की सरकारें भी अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा निवेशित करती दिख रही हैं। जहॉ शिक्षा ही समाज एवं राष्ट्र के विकास की रीढ़ है, वहॉ भारतीय सरकारों को भी इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा में भारतीय शासन ने सम्मानजनक धन निवेश किया है परन्तु कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजूकेशन की वार्षिक रिपोर्ट 'ओमेन डोर 2008' इस बात का इशारा करती है कि अभी उच्च शिक्षा में भारत को वैश्विक केन्द्र बनने में बहुत समय लगेगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक निरंजन कुमार ने 'ओपेन डोर 2008' की रिपोर्ट के अनुसार हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि यदि भारतीय क्षात्रों द्वारा प्रति वर्ष विदेश में खर्च की जाने वाली धनराशि यदि देश में रह जाये तो उच्च शिक्षा की काया पलट होने में देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट के अनुसार अकादमिक सत्र 2007–08 में अमेरिका में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये आने वाले छात्रों में रिकार्ड संख्या में 94563 भारतीय छात्र की संख्या 2001 में सबसे ज्यादा चल रही है। अमेरिका में इस वर्ष 6.23 लाख विदेशी छात्र आए, जिनमें सबसे अधिक 15 प्रतिशत भारतीय छात्र हैं। विदेशी छात्रों की इस आवक से यहाँ की युनिवर्सिटी और सरकार, दोनों खुश हैं, क्योंकि न केवल ये छात्र भारी–भरकम फीस चुकाते हैं, बल्कि शिक्षा के आलावा खाने–पीने, रहने और अन्य खर्चो की वजह से बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करते हैं। उच्च शिक्षा को लेकर शीर्ष भारतीय उद्योग संगठन एसोचैम की भी एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार अमेरिका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 4.50 लाख से भी अधिक भारतीय छात्र हर साल जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पलायन की सबसे बड़ी वजह है पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का अभाव होना इसके अनुसार आई. आई. टी. और आई. आई. एम. में प्रवेश न पाने वाले 90 प्रतिशत छात्रों में कम से कम 20–25 प्रतिशत छात्र बाहर चले जाते है। इस अध्ययन

के अनुसार ये छात्र विदेशों में लगभग 48 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। इस धन में विश्व स्तर के कम से कम 20 इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रोजगार में लगे लगभग 46 करोड़ लोगों में से केवल पाँच प्रतिशत के पास ही व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण है, जबकि दक्षिण कोरिया में 95 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, और जर्मनी में 75 प्रतिशत तक लोग व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण से लैस हैं। व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण का अभाव हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है। चीन में वयावसायिक शिक्षा के लिये पांच लाख से ज्यादा संस्थान हैं, जबकि भारत में ऐसे संस्थान मात्र तीस हजार ही हैं। भारतीय छात्रों द्वारा बाहर खर्च की जाने वाली इतनी बड़ी राशि हर वर्ष अगर देश में रह जाए तो हमारी उच्च शिक्षा की कायापलट होने में देर नहीं लगेगी। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिये सरकार का कुल अनुमानित खर्च 84,943 करोड़ रूपये है। अगर भारत में विश्व स्तर के संस्थान होते तो न केवल हम इस राशि का उपयोग अपने लिये करते, बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से भी विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में सफल होते। अमेरिका के अलावा आष्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, कनाडा आदि जगहों से 4–5 लाख विदेशी छात्र आते है। वहीं भारत में विदेशी छात्रों की संख्या सिर्फ 27 हजार है। सिंगापुर जैसे अत्यंत छोटे से देश में डेढ़ लाख से अधिक छात्रों के प्रवेश की योजना है। उच्च शिक्षा संस्थानों की दुनिया में रेटिंग करने वाली प्रमुख संस्था 'क्वाक्वारेली साइमंड्स' हर साल शीर्ष दो सौ शिक्षण संस्थानों की सूची निकलती है। इसमें भारत के केवल दो ही संस्थान 2008 में जगह बना पाए। वे भी 150 रैंक के बाद, जबकि टाप 50 में एशिया के ही चीन, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि के कई संस्थान हैं। एसोचैम के अनुसार अगर हम उच्च शिक्षा का समुचित विकास कर सकें तो भारत न केवल लगभग 2.4 लाख करोड़ रूपये की आय अर्जित कर सकेगा, बल्कि इसके द्वारा तकरीबन 10 लाख अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होंगे। सरकार ने एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 में अपनी अनुशंशाएं और उच्च शिक्षा के लिये भावी रूपरेखा सरकार को सौंप दी। इसमें अन्य चीजों के अलावा सरकार, राजनेताओं, और नौकरशाही के हस्तक्षेप से उच्च शिक्षा को मुक्त करने की बात कही गयी थी, ताकि विश्वविद्यालय की राजनीति और लालफीताशाही से दूर रखते हुए उन्हें अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिल सके। इसके लिये एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश भी की गयी, जो सरकार के हस्तक्षेप से काफी हद तक बाहर होगा। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में उच्च शिक्षा संस्थान सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यह रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा के नये आयाम खोलने की दिशा में अत्यंत दूरगामी है। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने शुरू किये है, जैसे 11वीं योजना में 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च, दो स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दस नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी और 20 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलोजी खोलने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में 504 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थायें शामिल हैं। इनमें 243 राज्य विश्वविद्यालय 53 राज्यों के निजी विश्व विद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 130 मान्य (डीम्ड) विश्वविद्यालय, 33 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं (संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित) और 5 विभिन्न राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित संस्थाएं शामिल हैं। इनके अलावा, 2,565 महिला महाविद्यालयों सहित 25,951 महाविद्यालय भी हैं। ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ के समय 19 केंद्रीय

विश्वविद्यालय, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 1 योजना और वास्तुकला विद्यालय के अलावा केंन्द्र द्वारा वित्तपोषित कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं थीं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी और उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान खोले गये हैं। 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा 3 प्रांतीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 8 नये आई आई टी, 7 नये आई आई एम, 3 नये आई आई एसई आर, 2 नये एसपीए और अनेक नयी पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। इनके अतिरिक्त 10 नयी राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में 374 महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। विश्वस्तरीय 14 विश्वविद्यालयों अथवा नवोन्मेषी विश्वविद्यालय और 20 नये आई आई टी संस्थानों की स्थापना का विचार अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यद्यपि विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता अथवा सुगमता, समानता और गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया है जितनी वृद्धि भर्ती की दर में हुई है। प्रकट और अप्रकट मांग की तुलना में तो यह और भी कम है। शिक्षण वर्ष 2009–10 के प्रारंभ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की औपचारिक प्रणाली में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 136.42 लाख बताई जाती है। यह प्रतिशत सकल भर्ती अनुपात का करीब 12.9 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल भर्ती अनुपात के मामले में विश्व औसत 26.7 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में 13 प्रतिशत रहा है। अतः सकल भर्ती अनुपात को सम्मानजनक स्तर तक ले जाने के लिए और अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलन होंगे। गुणवत्ता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संस्थाओं के कामकाज की नियमित समीक्षा से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए या तो स्वमूल्यांकन की पद्धति अपनाई जा सकती है या फिर बाहरी एजेंसियों से आकलन कराया जा सकता हैं। संस्थाओं को अधिमान्यता के जरिये भी गुणवत्ता में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार से शैक्षिक कदाचार को भी बढ़ावा मिला है। प्रवेश के समय निजी संस्थाओं में छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य प्रभारों के अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति शल्क (कैपिटेशन फीस) भी लिया जाता है। बड़े पैमाने पर निजी संस्थाओं के प्रवेश से छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन और विश्वविद्यालयों तथा अन्य भागीदारों को लेकर होने वाले मुकदमों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। विवादों के निपटारे की कोई त्वरित न्यायिक व्यवस्था न होने के कारण विभिन्न सहभागियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थाओं के कुशल संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा 1990 के दशक के मध्य से देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं (एफईआई) की गतिविधियों में भी तेजी आई है। इनमें से कुछ तो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं तो ऐसी भी अनेक संस्थाएं हैं जो छात्रों को, विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों से, आकर्षित करने के लिए गलत तरीके अपनाती है। इनमें से अनेक संस्थाऐं इसलिए खुली हैं क्योंकि देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के नियमन के लिए कोई नियामक व्यवस्था अथवा केंद्रीकृत नीति नहीं है। ले–देकर तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए कुछ नियम भर ही हैं, जो विदेशी संस्थाओं की कथित गड़बड़ियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 21वीं सदी के वर्तमान समय मे सबसे बड़ी चुनौती है उच्च शिक्षा प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ की उच्च शिक्षा को सार्थकता और सोद्देश्यता पर निर्भर है। उचित व मूर्त उद्देश्यों के निर्धारण में

उदासीनता के कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक है क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वरूप का सामाजिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। 21 वीं सदी में उच्च शिक्षा की आवश्यकता अध्ययन की विषयवस्तु पर विशेष बल देने की है जिनसे प्रवेश विधि एवं छात्र संख्या की समस्या का समाधान मिल सके। राजकीय सहायता ने उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता पर गहरा आघात किया है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के स्तर पर न स्वायत्तता रह गई है और न स्वतंत्रता ये संस्थाएं सरकारी दफ्तर की तरह कार्य कर रही हैं। इसलिए यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए इन संस्थओं के स्वरूप में क्या परिवर्तन अपेक्षित है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व अध्ययन और अनुसंधान माना गया है अध्ययन की स्थिति तो असंतोष जनक है ही अनुसंधान भी निरर्थक और अनुपयुक्त है। एच0एन0 हार्न ने लिखा है कि शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है वह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है तथा ज्ञान और शक्ति के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके भविष्य को भूत से बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है। 21 वीं सदी अन्तर्राष्ट्रीयता की सदी है इस सदी में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह नई चुनौतियों का सामना करना है। 21 वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य मे चार बातें अहम हो सकती हैं–शिक्षार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक अधोसंरचना और परिवेश यदि वर्तमान चुनौतियों में शिक्षा को मानव विकास और आदर्श प्रेरित बनाना है तो इन्हीं माडलों के आधार पर उच्च शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना होगा। उत्कृष्टता, पारदर्शिता तथा प्रतिबद्धता के धरातल पर उच्च शिक्षा से की जा रही मांग ही वास्तव में समाज की मांग के अनुरूप पूर्ति के साधन हैं। नवाचार तथा नवान्मेष सदैव ही प्रगति एवं विकास के वाहक तथा कारक रहे हैं तथा इन्हीं से क्रांतियों ने उद्घोष भी किया है। आज भारत की लगभग आधी आबादी युवाओं की है, लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उच्च शिक्षा जगत में बिद्यार्थियों का नामांकन 10 प्रतिशत से भी कम है। 21वीं सदी के वर्तमान समय में बिद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ अपार हैं, अनेक अनुत्तरित प्रश्न सुरसा की भॉति मुंह बाये हैं। डगर कठिन है बाजारवाद, पूंजीवाद तथा भू–मण्डलीकरण के इस दौर में ज्ञान के विस्फोट ने हक्का बक्का कर दिया है। उपस्थित चुनौतियों से निपटने हेतु उनका सामना करना तथा दौड़ में निरंतर जीतने हेतु बने रहना ही एकमात्र विकल्प है। आज के विद्यार्थी को भावी नागरिक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार दिखाई देता है। मूल्यों के संकट से गुजरता तथा रोजगार प्राप्ति हेतु आज का पढ़ा लिखा युवा जागरूक है। जरूरत है पाठ्यक्रम को नवीनता देने की सुव्यवस्थित प्रणाली देने तथा पारदर्शी मूल्यांकन रूपी सीढ़ी देने की ताकि ज्ञान से सरोबार बिद्यार्थी समुदाय समाजोत्थान का बीड़ा उठा सके उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो एवं वे प्रतियोगिता का कड़ा मुकाबला कर सके। 21वीं सदी में ज्ञानाधारित समाज की उच्च शिक्षा हमारे अस्तित्व की शर्त बन गयी है क्योंकि उसके द्वारा प्रवर्तित नवाचार और अनुसंधान सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर नई–नई दिशा देने में कारगर सिद्ध हुए है। उच्च शिक्षा के अध्यापन अनुसंधान और विस्तार सेवा आयामों में से तीसरी आयाम अर्थात् विस्तार सेवा का समाज से सीधा संबंध रखता है इस आयाम के जरिए जहां समाज के ग्राम समुदाय और शैक्षणिक सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग की सामाजिक सामुदायिक कार्यो में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें सचेत और जागरूक बनाया जाता है वहीं इन समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल से उनके साथ कार्य करने वाले छात्र और शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं, उच्च शिक्षा विचारों और आदर्शो का केन्द्र हैं। यहाँ के प्रत्येक सदस्य से आचरण के उच्च

प्रतिमानों और ईमानदारी की अपेक्षा रहती है। यह सत्य, उत्कृष्टता और सृजनशीलता का अनुसरण और अभिव्यक्ति पूरे साहस एवं निर्भीकता के साथ किया जाना चाहिए। 21वीं सदी के वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की जो चुनौतियॉ हैं उनकी संभावनाओं की तलाश करते समय कुछ प्रश्नों की ओर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है, जैसे कि क्या वर्तमान शिक्षा मानव को पूर्ण मानव बनाने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। क्या वर्तमान शिक्षा के माध्यम से बिद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास हो रहा है, उच्च शिक्षा के जो घटक हैं क्या वे स्वप्रेरणा से अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, क्या शिक्षा की प्राचीन अवधारण और आधुनिक अवधारणा में किसी प्रकार के राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है, क्या उच्च–शिक्षा के माध्यम से धरती को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना समाज को अमानवीकरण की ओर तो अग्रसर नहीं कर रही है। उपर्युक्त प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर ही उच्च शिक्षा की 21वीं सदी की वर्तमान चुनौतियों के बीच संग्रहीत है।

वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद छात्रों की उपस्थिति अत्यंत कम हैं। वहीं शिक्षक द्वारा पढ़ानें में रूचि न लेने से और शिक्षा में परिवर्तन के प्रति उदासीनता के कारण शिक्षक छात्र में तालमेल नही बैठा पा रहे तथा परीक्षा संबंधी अनियमितताएं आदि कारण हो सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी शिक्षक उदासीन हैं कुछ अपने कार्य के प्रति सजग हैं पर उन्हें भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं । अतः प्रशासनिक कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर इसे दूर किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि पढ़ाई और पाठ्यक्रम दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। संस्थाओं में मुख्य रूप से दो तरह के पाठ्यक्रम होने चाहिए पारंपरिक पद्धति के आधार पर जहाँ सैद्धान्तिक विवेचना व्यापक और विशद रूप में पढ़ाई जाए और उसमें केवल उन्हीं बिद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शोध कार्यो में जाना चाहते हैं। इस प्रकार की संख्या अत्यंत सीमित होनी चाहिए और जहाँ शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति बहुत बड़ी कसौटियों से गुजरने के बाद की जानी चाहिए। इसमें तदर्थ या ठेके वाली व्यवस्था नहीं चल सकती। ये संबंधित विषयों में अधोसंरचना से लेकर ऊपर के ढाँचे को बनाने मे सहयोग करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए वहीं दूसरे तरह का पाठ्यक्रम पूर्णतः व्यावहारिक हो, संस्थाओं को घिसे पिटे पाठ्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए जिनमें थोड़ा–थोड़ा सभी सिद्धान्तों की चर्चा होती है और जिन्हें वर्तमान में रूटीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है इनमें से कई चीजें बिद्यार्थी के लिए अनुपयोंगी होती हैं और उनकी रूचि उसमें नहीं होती पर उसे मजबूरन पढ़ना पड़ता है। इसके स्थान पर ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए जिनकी बाजार में मांग हो जैसे कि आजकल विपणन एवं रिटेल विपणन प्रबंधन आदि काफी प्रचलित क्षेत्र हैं, वहाँ अलग–अलग प्रकार की वस्तु के विपणन के लिए अलग–अलग प्रकार के पाठ्क्रम चलाए जाने चाहिए। छात्रों को उसी से संबंधित बातें सिखाई जानी चाहिए जितने भी विषय हों सब उसी से संबंधित हों। संस्थाओं में पाठ्यक्रम बनाने का दायित्व विशेषज्ञों को दिया जाना चाहिए जो किसी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा हो ये मोटे तौर पर व्यावहारिक ज्ञान देने वाले पाठ्यक्रम होने चाहिए। आज बैंकिंग बीमा पर्यटन, फैशन, विश्व व्यापार, संविलियन और अधिग्रहण, पर्यावरण उनके क्षेत्र है, जिनमें पाठ्यक्रम प्रारंम्भ किए जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक भी अपने ज्ञान को बढ़ायें।

21वीं सदी के उच्च शिक्षा के शैक्षणिक स्तर पर सुधार लाने एवं शिक्षा को रोजगारमूलक और समाजोपयोगी बनाने हेतु निम्नांकित सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

1. उच्च शिक्षा मूल्य आधारित हो।
2. आने वाले समय का अध्ययन कर रोजगारों की माँग के आधार पर शिक्षा दिलाए जाने की व्यवस्था हो।
3. शिक्षा व्यवस्था लचीली और गतिशील हो।
4. वंचित वर्ग के छात्रों हेतु निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो।
5. शिक्षण में राष्ट्र एवं समाज हित को समाहित किया जाये।
6. शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को नैतिकता के उच्च स्तर तक पहुँचाने में सक्षम हो।
7. उच्च शिक्षा गुणवत्तावाली शिक्षा व्यवस्था हो।
8. शैक्षणिक संस्थाओं को उपभोक्तावाद, बाजारवाद एवं भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए।
9. उच्च शिक्षित प्रतिभाओं का पलायन रोका जाय और उसका उपयोग अपने ही राष्ट्र में किया जाए।
10. उच्च स्तरीय शोध सामग्री सृजित की जाय।
11. वर्तमान शिक्षा–प्रणाली एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाय।
12. कैरियर काउंसिलिंग के पाठ्यक्रम की कक्षाएँ एक विषय के रूप में प्रतिदिन संचालित की जायें, जिसमें छात्र व अभिभावक दोनों की हिस्सेदारी हो।
13. पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाये, उनमें ऐसे विषय लाये जायें जिनका छात्र के भावी जीवन में वास्तविक उपयोग हो।
14. प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए शिक्षकों को उनके पालकों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सोच बदलना होगा।
15. शिक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है तो बिद्यार्थियों को भी शिक्षकों के मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए।
16. मूल्यांकन पद्धति इस प्रकार की हो जिससे मेधावी एवं परिश्रमी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाये। शोध कार्यों पर भी बल दिया जाए।
17. वर्तमान शिक्षा, एवं शिक्षण कार्य को मूल्य प्रधान बनाने के लिए इसके सभी अवयवों में मूलतः ज्ञान, कौशल बोध एवं शिष्टता का अवश्य ही समावेश किया जाना चाहिए।
18. शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाये।
19. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाये एवं शिक्षण संस्थाओं में गुणात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाया जाये।
20. शिक्षण संस्थाओं में बढ़ते राजनैतिक हस्तक्षेप को रोका जाये।
21. शिक्षण संस्थाओं को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए तथा छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
22. शिक्षकों का विद्यार्थियों से अधिक से अधिक सम्पर्क होना चाहिए। उन्हें, उनसे स्नेह होना चाहिए।
23. पुस्तकालयों में सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण पत्रिकायें जर्नल, पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि की व्यवस्था हो।
24. शिक्षण की ऐसी विधियों पर जोर देना चाहिए जिसमें छात्रों का मौलिक विकास हो।
25. विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं में उत्कर्ष हेतु गुण और उत्कृष्टता को स्थान देना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उच्च–शिक्षा की चुनौतियाँ एवं विकल्पों की खोज के लिए विवश करती हैं तथा क्षमता में सुधार और लागत मूल्य में कमी का सुअवसर भी प्रदान करती हैं, इन अवसरों में भरपूर और समुचित लाभ उठाने के लिए विवेकपूर्ण नियोजन एवं श्रमसाध्य कार्यान्वयन की आवश्यकता है। हमें लकीर के फकीर के सहज मार्ग से बचकर विकल्पों की खोज और संदोहन के लिए पसीना बहाना होगा अन्यथा इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

संदर्भ सूची

- योजना, मासिक पत्रिका जून 2010, (538) योजना भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली ,पृष्ठ 13
- योजना, मासिक पत्रिका सितंबर 2009 538 योजना भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली, पृष्ठ 29
- श्रचना, द्विमासिकी अंक 67 अगस्त 2007 हिंदी ग्रन्थ अकादमी ,भोपाल, पृष्ठ 112, 114
- कृतिका, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका अंक 04 जुलाई–दिसंबर 2009 संपादक, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, उरई जिला–जालौन ,पृष्ठ 45, 47
- दैनिक जागरण, समाचार पत्र ,इन्दौर 3 जून 2007, पृ0 10
- जनसत्ता ,समाचार पत्र ,नई दिल्ली 25 दिसम्बर 08, पृ0 10